

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)

रूपसिंह पिता लालसिंह मीणा नि. लुहारीखुर्द

बनाम

इंद्रजीत पिता रामनाथ मीणा नि. लुहारीखुर्द वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 656/23

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुये
21.06.2023	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि लुहारीखुर्द प. ह. लुहारीखुर्द तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 1180 रकबा 0.0972 हेक्टेयर, आ.न. 479 रकबा 0.1512 हेक्टेयर, आ.न. 480 रकबा 0.0432 हेक्टेयर, आ.न. 483 रकबा 0.1296 हेक्टेयर, आ.न. 484 रकबा 0.0216 हेक्टेयर कुल किता 05 रकबा 0.4428 हेक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तार्ईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है लुहारीखुर्द प. ह. लुहारीखुर्द तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 1180 रकबा 0.0972 हेक्टेयर, आ.न. 479 रकबा 0.1512 हेक्टेयर, आ.न. 480 रकबा 0.0432 हेक्टेयर, आ.न. 483 रकबा 0.1296 हेक्टेयर, आ.न. 484 रकबा 0.0216 हेक्टेयर कुल किता 05 रकबा 0.4428 हेक्टेयर भूमि स्थित भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक लुहारीकलां को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 21.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर(भीलवाडा)

मित

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र. सं. 656/2023 अनवान रूपसिंह पिता लालसिंह मीणा नि. लुहारीखुर्द बनाम इंद्रजीत पिता रामनाथ मीणा नि. लुहारीखुर्द, महेंद्र पिता बाबूलाल मीणा नि. लुहारीखुर्द, जगदीश पिता नाथु लाल खाती नि. लुहारीखुर्द, रामनिवास पिता भूरा खाती नि. लुहारीखुर्द, मांगीलाल पिता रामकिशन मीणा नि. लुहारीकलां, बाबूलाल पिता पंचम मीणा नि. लुहारीकलां, मांगीलाल पिता रामकिशन मीणा नि. लुहारीकलां, भंवरलाल पिता भुवाना मीणा नि. लुहारीकलां, जगन्नाथ पिता खेमा मीणा नि. लुहारीकलां, तुलसीराम पिता रामकिशन मीणा नि. लुहारीकलां, गंगाराम पिता भोजाराम मीणा नि. लुहारीकलां, जयकिशन पिता बल्देव मीणा नि. लुहारीकलां, वगैरा की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम लुहारीखुर्द प. ह. लुहारीखुर्द तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 1180 रकबा 0.0972 हेक्टेयर, आ.न. 479 रकबा 0.1512 हेक्टेयर, आ.न. 480 रकबा 0.0432 हेक्टेयर, आ.न. 483 रकबा 0.1296 हेक्टेयर, आ.न. 484 रकबा 0.0216 हेक्टेयर कुल कित्ता 05 रकबा 0.4428 हेक्टेयर भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक लुहारीकलां को कमीशनर नियुक्ति किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रु. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)